



2026: AHC : 51519

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7001 वर्ष 2026

डोरीलाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पुनीत भदौरिया

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता), कृष्ण कांत सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के तहत कार्यवाही में अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक), एटा/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 13.01.2026 का आदेश वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री के. के. सिंह द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास संहिता, 2006 की धारा 128 की उप-धारा (4) के तहत प्रदान किए गए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।
3. याचिकाकर्ता को उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपचार के आधार पर रिट याचिका खारिज की जाती है।

13 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।